

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-117/ग्यारह-2-22-9(47)/17-टी.सी.178-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(228)-2022

लखनऊ: दिनांक: 16 मार्च, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 48 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या 428/ग्यारह-2-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(106)-2020 दिनांक 30 अप्रैल, 2020, में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में, 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी, शब्द "पचास करोड़ रुपये" के स्थान पर शब्द "बीस करोड़ रुपये " रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,



(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव